न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश(एन०डी०पी०एस०प्रकरण),झालावाड़ (राजस्थान)

पीठासीन न्यायाधीश-**बरकत अली**, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आप0 वि0 जमानत आवेदन सख्या-103/2026

CiS No. 66/2026

मुकेश कुमार पुत्र मदनलाल, उम्र-24 साल, निवासी कोटडी, पुलिस थाना घाटोली, जिला-झालावाड(राज.)

......प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य...**अप्रार्थी/ अभियोगी**

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्राथमिकी संख्या-19/2026 थाना झालरापाटन, अपराध अन्तर्गत धारा 8/21,29 NDPS Act

उपस्थितः-

1-श्री राजेश गुप्ता, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2-श्री शैलेन्द्र सिंह पंवार, विशिष्ठ लोक अभियोजक, राजस्थान राज्य की ओर से।

आदेश **दिनांक 07.03.2026**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह प्रार्थना-पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रार्थना-पत्र की नकल विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक को दिलायी गयी। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

2- अभियोजन कहानी के अनुसार संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है दिनांक 14.01.2026 को अल्का, थानाधिकारी, पुलिस थाना झालरापाटन मय पुलिस जाब्ता के थाने से रवाना होकर गश्त करते हुए दूध डेयरी तिराहा की तरफ जा रही थी कि माधोपुर ब्रिज के नीचे, सुनेल तिराहा की तरफ जाने वाले सर्विस लेन रोड पर एक व्यक्ति पीटटू बेग लटकाये खडा नजर आया, जो पुलस वाहन की बत्ती को देखकर एकदम तेज कदमों से सर्विस लेन होते तुए सुनेल तिराहा की तरफ जाने लगा, जिस पर सन्देह होने पर जाब्ता की मदद से रोका तथा नाम पता पूछा तो उसन अपना नाम विजय मीणा होना बताया। शंका होने पर उक्त व्यक्ति की नियमानुसार तलाशी ली गई तो विजय मीणा के कब्जे के पिटठू बेग में रखी पोलीथीन की थैली में से शुद्व 5.9 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बरामद हुई, जिसे जब्त कर सीलचिट किया गया। अभियुक्त विजय मीणा से पूछताछ किये जाने पर उसने जब्तशुदा स्मैक अभियुक्त मनोज सेन निवासी अकलेरा से लाना तथा मनोज सेन के द्वारा बताये गये

मोबाईल नम्बर-9982782698 वाले किसी व्यक्ति को देने कोटा जाना कथन किया। बाद किये जाने मौके की कार्यवाही वापसी थाना पर मुकदमा न. 19/2026 धारा 8/21,29 एनीडपीएस एक्ट दर्ज किया गया। दौराने अनुसंधान अभियुक्त मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण अनुसंधानाधीन है।

3- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसको झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का जब्तशुदा मादक पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी भी प्रकार के कथित मादक पदार्थ की बरामदगी नही हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 26.02.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के अनुसंधान एवं अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना निर्मूल नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

4- विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि अभियुक्त विजय मीणा के कब्जे से 5.9 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बरामद की गई थी, जिसे अभियुक्त विजय मीणा अभियुक्त मुकेश कुमार को कोटा देने जा रहा था। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत का आवेदन खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5- उभय पक्ष के तर्को को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

6- प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 14.01.2026 को अल्का, थानाधिकारी, पुलिस थाना झालरापाटन द्वारा अभियुक्त विजय मीणा के सचेतन कब्जे से 5.9 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बरामद की थी, जिसे अभियुक्त विजय मीणा अभियुक्त मुकेश कुमार को कोटा देने जा रहा था। अभिलेख के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व पूर्व में निम्न आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व है-

क्र.–सं.	नाम थाना	मुकदमा नं.	धारा	नतीजा
01	कोतवाली	607/2022	धारा-8/18,21,29 एन.डी.पी.एस.एक्ट	सी.एस 97/03.03.2023
02	घाटोली	149/2024	धारा-341,323,504,336/34 भा.दं.सं.	सी.एस 78/16.05.2024

यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध केस डायरी के अवलोकन से उपरोक्त एक प्रकरण एन.डी. पी. एस. एक्ट से संबंधित होना दर्शित होता है, परन्तु इस सम्बन्ध में माननीय उचतम न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील नं० 153/2020 प्रभाकर तिवारी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर

प्रदेश एवं अन्य में यह मत व्यक्त किया है कि-The offence alleged no doubt is grave and serious and there are several criminal cases pending against the accused. These factors by them-selves cannot be the basis for refusal of prayer for bail." इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में पूर्व के आपराधिक रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना पर्याप्त आधार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रकरण में दोषसिद्ध किया गया हो, ऐसा अभियोजन की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रकरण में सहअभियुक्त मनोज सेन की इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.02.2026 को जमानत ली जा चुकी है। अभियुक्त मुकेश कुमार का मामला सहअभियुक्त मनोज सेन से भिन्न्न प्रकृति का नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 26.02.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना निर्मूल नहीं है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना मामले के तथ्यों परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

7- अतः प्रार्थी/अभियुक्त **मुकेश कुमार** की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस प्रकरण में स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस न्यायालय के संतोषप्रद स्वयं का मुचलका तादादी 1,00,000/- रूपये तथा 50,000-50,000/- राशि की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर आजाद कर दिया जावे।

(बरकत अली)
विशिष्ठ न्यायाधीश
(एन०डी०पी०एस० प्रकरण)
झालावाड़

8- आदेश आज दिनांक 07.03.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(बरकत अली)
विशिष्ठ न्यायाधीश
(एन०डी०पी०एस० प्रकरण)
झालावाड़

प्रमाण-पत्र

निर्णय में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

MIRZA MOHAMMAD HUSSAIN

Digitally signed by MIRZA MOHAMMAD HUSSAIN
Date: 2026.03.10 16:44:58 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिये है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।